संख्या-107/2026/I/1410114/2026/71-1002(002)/6/2026

प्रेषक,

आनन्द कुमार त्रिपाठी,
संयुक्त सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण,
उ0प्र0, लखनऊ।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-1 **लखनऊः दिनाँक 27 जुलाई, 2026**

विषय:- वित्तीय वर्ष 2026-27 में मोती लाल नेहरू मेडिकल कालेज से सम्बद्ध स्वरूपरानी नेहरू चिकित्सालय परिसर में निर्माणाधीन बाल चिकित्सालय के अतिरिक्त कार्यो हेतु द्वितीय किश्त की वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या–एमई/निर्माण/2026-27/172, दिनांक 22.07.2026 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा मोती लाल नेहरू मेडिकल कालेज से सम्बद्ध स्वरूपरानी नेहरू चिकित्सालय परिसर में निर्माणाधीन बाल चिकित्सालय के अतिरिक्त कार्यो की मूल्यांकित लागत रू0 753.73 लाख के सापेक्ष प्रथम किश्त के रूप में अवमुक्त धनराशि रू0 376.86 लाख का उपयोगिता प्रमाण-पत्र उपलब्ध कराते हुए टेण्डर लागत रू0 752.50 लाख के सापेक्ष अवशेष धनराशि रू0 375.635 लाख अवमुक्त कराये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- उल्लेखनीय है कि शासनादेश संख्या-20/2026/I/1233717/2026/71-1002(002)/6/2026, दिनांक 10.02.2026 द्वारा मोती लाल नेहरू मेडिकल कालेज से सम्बद्ध स्वरूपरानी नेहरू चिकित्सालय परिसर में निर्माणाधीन बाल चिकित्सालय के अतिरिक्त कार्यो हेतु पी0एफ0ए0डी0 द्वारा आंकलित लागत रू0 753.73 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति तथा प्रश्नगत परियोजना की प्रथम किश्त के रूप में रू0 376.865 लाख की धनराशि निर्गत की गयी है।

3- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि मोती लाल नेहरू मेडिकल कालेज से सम्बद्ध स्वरूपरानी नेहरू चिकित्सालय परिसर में निर्माणाधीन बाल चिकित्सालय के अतिरिक्त कार्यो हेतु अनुमोदित लागत रू0 753.73 लाख के सापेक्ष वित्तीय वर्ष 2026-27 में अनुदान संख्या-31 के अन्तर्गत पूंजीलेखा पक्ष में लेखाशीर्षक-4210-03-105-40-राजकीय मेडिकल कालेज, प्रयागराज हेतु मानक मद-24-वृहद निर्माण कार्य में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष प्रश्नगत कार्य हेतु द्वितीय किश्त के रूप में **रू0 123.135 लाख (रू0 एक करोड़ तेईस लाख तेरह हजार पाँच सौ मात्र)** की धनराशि अवमुक्त किये जाने की राज्यपाल महोदय निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है:-

---

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

नियम व शर्तों/प्रतिबन्धों

1. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-4/2026/बी-1-812/दस-2026-231/2026, दिनांक 28.03.2026 में उल्लिखित दिशा निर्देशों का पूर्ण अनुपालन-सुनिश्चित किया जायेगा।
2. स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय उन्हीं कार्यो/मदों में किया जायेगा, जिसके लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है, किन्ही अन्य कार्यो/मदों पर धनराशि का व्यय अथवा व्ययावर्तन वित्तीय अनियमितता मानी जायेगी।
3. कार्य की गुणवत्ता, मानक एंव विशिष्टियों से प्रधानाचार्य स्वयं संतुष्ट हो लेंगे।
4. अवमुक्त धनराशि का आहरण आवश्यकतानुसार करते हुए व्यय नियमानुसार किया जायेगा। स्वीकृत धनराशि को डाकघर/बैंक खाते में नही रखा जायेगा।
5. परियोजना की मूल प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति विषयक शासनादेश संख्या-20/2026/I/1233717/2026/ 71-1002(002)/6/2026, दिनांक 10.02.2026 में उल्लिखित अन्य शर्ते यथावत् रहेगी।

4- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 1,23,13,500 (रुपये एक करोड़ तेईस लाख तेरह हजार पाँच सौ मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 के आय-व्ययक मे **अनुदान संख्या** 031 **लेखा शीर्षक** 4210031054000 मेडिकल कालेज, प्रयागराज **मानक मद** 24 वृहत् निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

5- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-4/2026/बी-1-812/दस-2026-231/2026, दिनांक 28.03.2026 में प्रशासकीय विभाग को उक्त प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

आनन्द कुमार त्रिपाठी
संयुक्त सचिव।

<u>संख्या/तद्दिनांक, उपर्युक्तानुसार।</u>

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 प्रयागराज।
2. महालेखाकार, (लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 प्रयागराज।
3. वित्त नियंत्रक, निदेशालय, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ।
4. प्रधानाचार्य, राजकीय मेडिकल कालेज, प्रयागराज।
5. वित्त नियंत्रक, राजकीय मेडिकल कालेज, प्रयागराज।
6. वरिष्ठ कोषाधिकारी, प्रयागराज।
7. प्रबन्ध निदेशक, यू0पी0 सिडको, लखनऊ।
8. नोडल अधिकारी, बजट एलाटमेण्ट सिस्टम, चिकित्सा शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

9. नियोजन अनुभाग-4/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2, उ0प्र0 शासन।

10. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3, उ0प्र0 शासन।

11. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

आनन्द कुमार त्रिपाठी

संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।